भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4038
मंगलवार, 25 मार्च, 2025/04 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

भारत बीज ब्रांड

4038. श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री चंदन चौहानः
डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा किसानों को, विशेषकर झारखंड सहित दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत बीज ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;
(ख) छोटे और सीमांत किसानों के बीच गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग और इन्हें अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) सरकार बीजों की गुणवत्ता और वहनीयता बनाए रखने के लिए बीज वितरण नेटवर्क में निजी क्षेत्र की भागीदारी को किस प्रकार विनियमित करते हुए इसकी निगरानी करेगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(**श्री अमित शाह**)

(क) सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की है । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) फसल उपज में सुधार के लिए सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड 'भारत बीज' के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन, प्रापण और वितरण करेगा । अब तक 19,674 सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बन चुकी हैं, जिनमें से 334 सदस्य सहकारी समितियां झारखंड से हैं । BBSSL ने झारखंड सरकार से बीज लाइसेंस भी प्राप्त किया है । BBSSL की कुशल लॉजिस्टिक्स व्यवस्था झारखंड के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित किसानों को भारत बीज ब्रांड के अंतर्गत उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ।

(ख) राज्य कृषि विभाग (विभागों) अपनी कृषि विस्तार सेवाओं आदि के माध्यम से किसानों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं और फ्रंट-लाइन प्रदर्शन (FLD), क्लस्टर फ्रंट लाइन प्रदर्शन (CFLD), और अन्य प्रदर्शन कार्यक्रमों, किसानों के प्रशिक्षण, किसानों के फील्ड स्कूलों का आयोजन करता है। इसके अलावा, BBSSL ने निम्नलिखित तरीकों से छोटे और सीमांत किसानों के बीच भारत बीज ब्रांड गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग और अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी निर्णय लिया है:

i. सोशल मीडिया और BBSSL वेबसाइट के माध्यम से जागरूकता अभियान ।
ii. विभिन्न स्तरों पर किसानों की बैठकें आयोजित करना ।
iii. क्षेत्रीय कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करना ।
iv. राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर प्रदर्शनियों का आयोजन करना और प्रचारात्मक कार्यक्रमों में भाग लेना ।

(ग) बाजार में बिकने वाले बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 और उस पर किए गए संशोधनों के तहत पर्याप्त उपबंध उपलब्ध हैं। उपर्युक्त उल्लिखित बीज कानूनों ने राज्य सरकारों को बीजों की गुणवत्ता की जांच करने और घटिया/नकली बीजों की बिक्री को रोकने के लिए सशक्त बनाया हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज राज्य सरकारों और निजी बीज कंपनियों को उनके द्वारा एक वर्ष पूर्व प्राप्त प्रजनक इंडेंट के आधार पर आवंटित करता है, ताकि उन बीजों से आधार और प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर किसानों को वितरित किया जा सके।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पहले ही 19 अप्रैल, 2023 को बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची (SATHI) पोर्टल - बीज ट्रेसेबिलिटी को लॉन्च कर दिया है, जो नाभिक-प्रजनक-आधार-प्रमाणित बीज से बीज श्रृंखला को कवर करते हुए प्रभावी निगरानी, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है । बीज डीलरों और वितरकों सहित निजी एजेंसियां भी शामिल हैं और SATHI पोर्टल के माध्यम से पूरी आपूर्ति श्रृंखला को ट्रैक करने की योजना बनाई गई है।

******